



14

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12082 निगरानी विमरानी 1454-PBR-15

- १- माहिला जीना देवा मोहनलाल,
- २- धनपाल । पुत्रगण मोहनलाल
- ३- रमेश ।
- इन्वासीगण ग्राम कैरवा, तहसील नरवर,
- जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

----- प्राथीगण

दिनांक 11.6.15 को
श्री कृष्ण के मावकासी
कापी 50 प्रकृत

50
11.6.15

विराध्व

- * १- बृषलाल । पुत्रगण नथुवा
- * २- बृषमोहन ।।
- ३- शांति वाई पुत्री नथुवा,
- समस्त निवासीगण ग्राम कैरवा, तहसील नरवर,
- जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।
- * ४- पपरमानंद पुत्र नारायण -आल प्रतिप्राथी
- निवासी कैरवा ।
- ५- तेज सिंह पुत्र मोहनलाल,
- ६- मानो पुत्री मोहनलाल,
- ७- राजकुमारी पुत्री मोहनलाल,
- समस्त निवासीगण ग्राम कैरवा, तहसील नरवर,
- जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

---तरतीवी प्रतिप्राथी

निगरानी विरध्व आदेश तहसीलदार महोदय नरवर, दिनांकी
२६-५-१५, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश सू-राजस्व संहिता, १९५६।
पुंजु ३४।१४-१५ अजमेर ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानून सही नहीं है।

क्रमशः--२



न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1454-अध्यक्ष/15 जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाओं आदि के हस्ताक्षर
५.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 34/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26.5.15 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 29/3/19 कलेक्टर जिला शिवपुरी</p>	